न्यायालय संख्या–1

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,भदोही–ज्ञानपुर।

सत्र परीक्षण संख्या–112 सन् 2014 ई0

राज्य प्रति गौरीशंकर आदि।

28–06–2017

प्रार्थी/वादी मुकदमा विनोद कुमार की ओर से प्रार्थनापत्र 69 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी चोटहिल है। घटना दिनांक 18.07.2013 ई0 को 6 बजे सुबह अभियुक्त गौरीशंकर व उनके लड़के रबिशंकर उर्फ खन्नू, टन्नू, राजन व ग्राम धनवतिया के राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल एक नाजायज मजमा कायम करके अपराध करने के इरादे से लाठी व कट्टा से लैश होकर अभियुक्त गौरीशंकर के दरवाजे पर बैठे थे। प्रार्थी को देखते ही उसे गाली गुप्ता देने लगे। राजकुमार उर्फ मैनेजर के ललकारने पर अभियुक्त राजन उर्फ टन्नू ने प्रार्थी के सिर व अन्य स्थानों पर जान से मारने की नियत से लाठियों से मारा। प्रार्थी को बचाने जब उसकी पत्नी चन्द्रकला आयी तो अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, गौरीशंकर व खन्नू ने कट्टे से उसकी पत्नी चन्द्रकला के पेट में गोली मारी, जिसकी इलाज के दौरान गोली की चोट से मृत्यु हो गयी। प्रार्थी ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना चौरी में लिखित तौर पर दिया, जिसमें उसने पाचों अभियुक्तगण गौरीशंकर, खन्नू, टन्नू, राजन व राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल को अपराध में शामिल होने का स्पष्ट रूप से जिक्र किया है, किन्तु पुलिस ने अभियुक्तगण को बचाने के लिए उनका पक्ष लेते हुये दौरान विवेचना नामित अभियुक्त राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, राजन व टन्नू को मुकदमें से निकाल दिया। प्रार्थी/वादी विनोद कुमार का सशपथ बयान बतौर पी0 डब्लू0–1 एवं उसके भाई प्रमोद कुमार का सशपथ बयान बतौर पी0 डब्लू0–2 हुआ है, जिसमें उन्होने पाचों अभियुक्त राजकुमार उर्फ मैनेजन शुक्ल, राजन, टन्नू, खन्नू

व गौरीशंकर को अपराध कारित करना कहा है। मृतका चन्द्रकला ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 जीवित व चोटहिल अवस्था में, जो कि मृत्युकालिक बयान के अंतर्गत आता है, में भी उपरोक्त पाचों अभियुक्तगण का नाम लिया है, फिर भी पुलिस ने विवेचना से अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, राजन व टन्नू का नाम राजनैतिक प्रभाव में आकर निकाल दिया। अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, राजन व टन्नू के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध पी0 डब्लू0–1 व पी0 डब्लू0–2 के बयान, प्रथम सूचना रिपोर्ट व चन्द्रकला के धारा 161 दं0 प्र0 सं0 के बयान से जुर्म दफा 147, 148, 149, 307, 323, 504 व 302 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बखूबी बनता है। अतः अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, राजन व टन्नू को बतौर अभियुक्त तलब करके उनका विचारण किया जाय।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/वादी का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पांच अभियुक्तगण गौरीशंकर, खन्नू, टन्नू, राजन व राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल को अपराध में शामिल होने का स्पष्ट रूप से जिक्र किया है, किन्तु पुलिस ने उन्हे बचाने के लिए उनका पक्ष लेते हुये दौरान विवेचना नामित अभियुक्त राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, राजन व टन्नू को मुकदमें से निकाल दिया और मात्र गौरीशंकर व रबिशंकर उर्फ खन्नू के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। साक्षी पी0 डब्लू0–1 एवं पी0 डब्लू0–2 के बयान से अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, राजन व टन्नू की भी अपराध में संलिप्तता है। अतः उन्हें तलब किये जाने की याचना की गयी।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं बयान पी0 डब्लू0–1 व पी0 डब्लू0–2 का अवलोकन किया। वादी मुकदमा विनोद कुमार का सशपथ बयान बतौर

पी0 डब्लू0–1 एवं साक्षी पी0 डब्लू0–2 के रूप में प्रमोद कुमार का बयान बतौर पी0 डब्लू0–2 अंकित हुआ है। उक्त साक्षीगण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और उन्होने पाचों अभियुक्तगण गौरीशंकर, खन्नू, टन्नू, राजन व राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल का नाम अपराध कारित करने वालो में अपने सशपथ बयान में कहा है। प्रतिपरीक्षा में भी राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, राजन व टन्नू का नाम आया है।

पत्रावली पर उपलब्ध पी0 डब्लू0–1 एवं पी0 डब्लू0–2 के बयान से राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, राजन व टन्नू की भी अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों अभियुक्तगण को विचारण के लिए तलब किया जाना आवश्यक है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 69 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 69 ख स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल, राजन व टन्नू के विरूद्ध दिनांक 11.07.2017 ई0 के लिए समन जारी हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1,भदोही–ज्ञानपुर।